बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–398/2011 615 /पटना, दिनांक :– 25-2-2020

श्री ध्रुवजी प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 में पदस्थापन काल में वर्ष 2010–11 में एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत खुदरा नदी पर लखनुसराय के खोबरिया घाट पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण में बरती गयी अनियमितता यथा पुलिया में फ्लोर कंक्रीट का कार्य नहीं कराये जाने, अप्रोच्च स्लैब के धँसने, डेक स्लैब में कराये गये कंक्रीट कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने तथा पुल का स्थल बदलने के आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 4453 दिनांक 16.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री प्रसाद के पत्रांक 1774 दिनांक 23.12.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक–2074 अनु0 दिनांक 09.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनोद कुमार राय, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1399 अनु0 दिनांक 01.04.2015 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रथम आरोप को प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा फ्लोर में कंक्रीट कार्य नहीं होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अप्रमाणित पाया गया। दुसरे आरोप को Approach Slab के कार्य को सुधार करा लिये जाने के आधार पर अप्रमाणित किया गया। तीसरे आरोप को Deck Slab के कंक्रीट कार्य का बाद में कराये गये मोर्टार टेस्ट में संतोषप्रद पाये जाने के आधार पर अप्रमाणित पाया गया तथा चौथे आरोप को पुल निर्माण अनुशंसित स्थल पर ही कराये जाने के आधार पर अप्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1294 दिनांक 08.04.16 द्वारा श्री प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री प्रसाद के पत्रांक 1801 दिनांक 30.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि अप्रोच्च स्लैब में धँसान का कारण मिट्टी का कार्य अपेक्षित संपीडन के साथ नहीं किया जाना है। डेक स्लैब में कराये गये कंक्रीट कार्य का गुण नियंत्रण जॉचफल संतोषप्रद नहीं पाया गया। अतः तीन वर्ष बाद किये गये मोर्टार टेस्ट को सही मानने का कोई औचित्य नहीं है। अंचल अमीन द्वारा तैयार नक्शा से स्पष्ट होता है कि पुलिया का निर्माण लखनुसराय के बजाय विशुनपुरा मौजा में हुआ है। इस प्रकार अप्रोच्च स्लैब के धँसने, डेक स्लैब में कराये गये कंक्रीट कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने तथा पुल का स्थल बदलने के आरोपों के संदर्भ में श्री प्रसाद के बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. इस बीच श्री प्रसाद के दिनांक 31.08.19 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय आदेश सं0 76 दिनांक 31.10.19 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

7. उपर्युक्त के आलोक में श्री प्रसाद को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत स्थायी रूप से पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3585 अनु0 दिनांक 05.12.19 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3006 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

9. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ध्रुवजी प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-02 सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः-

(i) स्थायी रूप से पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/2/2020

(मनोज कुमार)

उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-398/2011 616 /पटना, दिनांकः- 25.2.2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/2/2020

उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-398/2011 616 /पटना, दिनांकः- 25.2.2020

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020

उप सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–398/2011 616 /पटना, दिनांकः– 25.2.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 3006 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–398/2011 616 /पटना, दिनांकः– 25.2.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री ध्रुवजी प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासारमा–2 सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–फलैट नं0–डी 303 लेखराज परिसर, पूर्वी पटेल नगर, डाकघर–लाल बहादुर शास्त्री नगर थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना–8000023 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–398/2011 616 /पटना, दिनांकः– 25.2.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–398/2011 616 /पटना, दिनांकः– 25.2.2020

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in